न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री श्रीनिधि. बी.टी, आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 49/2019 RCMS No. 2019/00263
दायरा तिथि : 02.08.2019
फैसला तिथि : 24-10-2019

प्रार्थी:–

मोहनलाल पुत्र वजारामजी जाति चौधरी
निवासी मुण्डारा तहसील बाली जिला पाली (राज0)

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. लालाराम पुत्र वजारामजी जाति चौधरी
   निवासी मुण्डारा तहसील बाली जिला पाली (राज0)
2. श्रीमति तीजो पत्नि वजारामजी जाति चौधरी
   निवासी मुण्डारा तहसील बाली जिला पाली (राज0)
3. श्रीमति दरीया पुत्री वजारामजी जाति चौधरी
   निवासी मुण्डारा तहसील बाली जिला पाली (राज0)
4. श्रीमति मंजु पुत्री वजारामजी जाति चौधरी
   निवासी मुण्डारा तहसील बाली जिला पाली (राज0)
5. फताराम पुत्र हेमारामजी जाति चौधरी
   निवासी मुण्डारा तहसील बाली जिला पाली (राज0)
6. नेमाराम पुत्र हेमारामजी जाति चौधरी
   निवासी मुण्डारा तहसील बाली जिला पाली (राज0)
7. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थितिः–

1. श्री सोहनसिंह सोलंकी — अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री प्रवीण भंडारी — अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–01 से 06 की ओर से
2. तहसीलदार, बाली — पेरोकार सरकार

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली

–:: आदेश ::– दिनांक 24-10-2019

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर ग्राम मुण्डारा तहसील बाली में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 1045/1859 रकबा 3.76 हैक्टर किस्म बारानी दोयम के अधिकार अभिलेख जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 में बतौर सह खातेदार दर्ज अपने नाम **ममीया पुत्र वजाराम को त्रुटिपुर्ण** बताते हुये अपना **सही नाम मोहनलाल पुत्र वजाराम हिस्सा अनुसार** दुरस्ती के माध्यम से दर्ज किये जाने का निवेदन किया। अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा इसका आधार यह बताया कि प्रार्थी के पिता वजाराम की मृत्यु के बाद फौतेदगी म्यूटेशन भरते समय गलती व भुल से प्रार्थी का नाम ममीया लिख दिया, जबकि प्रार्थी को मोहनलाल के नाम से ही जाना पहचाना जाता है तथा प्रार्थी के राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड व अन्य सभी दस्तावेजों में **प्रार्थी का सही नाम मोहनलाल ही दर्ज** है। अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि में प्रार्थी द्वारा बतौर अभिलेखीय साक्ष्य प्रार्थी द्वारा धारित की जा रही अन्य कृषि भूमि ग्राम मुण्डारा के खसरा नंबर 1593 रकबा 3.70 हैक्टर की जमाबंदी सवंत् 2072 से 2075 की प्रमाणित प्रति एवं वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, कोटा द्वारा **RS-CIT** के सर्टिफिकेट की फोटो प्रति, परिवार राशन कार्ड की फोटो प्रति, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र की फोटो प्रति,आधार कार्ड की फोटो प्रति, मूल निवास प्रमाण पत्र की फोटो प्रति, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड की फोटो प्रति, भामाशाह कार्ड की फोटो प्रति, जयनारायण विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा जारी मार्कशीट की फोटो प्रति, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू द्वारा बी.एड. परीक्षा की जारी अंकतालिका की फोटो प्रतियॉ पेश की गई, जिन सभी में दर्ज इन्द्राज के अनुसार प्रार्थी का नाम मोहनलाल पुत्र वजाराम दर्ज है। **इसके** साथ ही प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि मुण्डारा के खसरा नंबर 1045/1859 रकबा 3.76 हैक्टर की जमाबंदी पेश की, जिसमें प्रार्थी का **त्रुटिपुर्ण नाम** बतौर सह खातेदार **ममीया** दर्ज है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो से सहमति व्यक्त करते हुये अप्रार्थी संख्या 01 से 06 ने व्यक्तिशः उपस्थित होकर अधिवक्ता श्री प्रवीण भंडारी के माध्यम से ईकबालिया जबाव पेश किया। प्रकरण में ईकबालिया जबाव प्राप्त होने से दोनो पक्षो के अधिवक्तागणों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी श्री सोहनसिंह सोलंकी ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी गई प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि ग्राम मुण्डारा के खसरा नंबर 1045/1859 रकबा 3.76 हैक्टर में प्रार्थी के पिता वजाराम के देहान्त के बाद दाखिल व स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 779 से प्रार्थी का **त्रुटिपुर्ण नाम ममीया** अन्य भाई, माता एवं बहिनो के साथ में दर्ज कर दिया गया, जबकि प्रार्थी का सही नाम

पेज लगातार .02

उप-खण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner

राजस्व विविध संख्या 49/2019 RCMS No. 2019/00263 अनवान मोहनलाल बनाम लालाराम वगैरा
अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

मोहनलाल है, जिसकी पुष्टि प्रस्तुत अभिलेखो राशन कार्ड, आधार, कार्ड व शैक्षणिक प्रमाणपत्रो से बखूबी होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार करते हुये राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के प्रावधानो अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि ग्राम मुण्डारा के खसरा नंबर 1045/1859 रकबा 3.76 हैक्टर में बतौर सह **खातेदार दर्ज ममीया के बजाय सही नाम मोहनलाल दर्ज** किये जाने की दलील दी। वकील अप्रार्थी पक्ष श्री प्रवीण भंडारी ने बहस में जबाव के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थी के सह खातेदारी में धारित की जा रही भूमि ग्राम मुण्डारा के खसरा नंबर 1045/1859 रकबा 3.76 हैक्टर में बतौर सह **खातेदार दर्ज ममीया के बजाय सही नाम मोहनलाल दर्ज** किये जाने बाबत् सहमति व्यक्त की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन एवं उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण में यह जाहिर हैं कि ग्राम मुण्डारा तहसील बाली में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 1045/1859 रकबा 3.76 हैक्टर में 1/3 हिस्सा में बतौर सह खातेदार प्रार्थी के पिता वजाराम पुत्र हेमाराम का नाम दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण संख्या 779 की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से जाहिर हैं कि उक्त नामान्तरकरण प्रार्थी के पिता वजाराम पुत्र हेमाराम के देहान्त बाबत् भरा गया है, जिस नामान्तरकरण से प्रार्थी का **नाम ममीया** दर्ज किया जाना प्रमाणित है। जबकि प्रार्थना पत्र के साथ अन्य भूमि ग्राम मुण्डारा के खसरा नंबर 1593 रकबा 3.70 हैक्टर की जमाबंदी में दर्ज इन्द्राजो के अवलोकन करने पर ज्ञात है कि उस भूमि में प्रार्थी **का सही नाम मोहनलाल** दर्ज है, इसके साथ ही प्रार्थी द्वारा धारित शैक्षणिक प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्रो में प्रार्थी का सही नाम मोहनलाल पुत्र वजाराम दर्ज होना प्रमाणित है। राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के प्रावधानो अनुसार राजस्व रेकर्ड में हुई त्रुटियो को दोनो पक्षो के सहमत होने पर दुरस्त किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम मुण्डारा स्थित भूमि खसरा नंबर 1045/1859 रकबा 3.76 हैक्टर में बतौर सह खातेदार दर्ज **प्रार्थी के त्रुटिपुर्ण नाम ममीया के बजाय सही व शुद्ध नाम मोहनलाल** अन्य सह खातेदार के **साथ हिस्सा अनुसार** दुरस्ती के माध्यम से दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है, रेकर्ड में दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, मुण्डारा आदेशानुसार रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे। इस हेतु आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, मुण्डारा को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

उप-खण्ड अधिकारी, बाली
(श्री श्रीनिधि. बी.टी.,)
आई.ए.एस.
भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

आदेश आज दिनांक 25-10-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली
उप-खण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sreenidhi B T
Date: 2019.11.28 11:45:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: